कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

माननीय अपील अधिकरण की अपील संख्या 978/2022 अनिल कुमार वैष्णव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2022 में अपीलार्थी को अप्रार्थीगण के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और अप्रार्थीगण को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को विधि अनुसार कन्सीडर कर सकारण एवं आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल–2, अंग्रजी) के पद पर वर्ष 2015 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बढाल, भाकर श्रीरामनगर, ओसियां, जोधपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के कथनानुसार अपीलार्थी के माता–पिता एवं पत्नी बीमार रहते हैं तथा जयपुर जिले के कोटपूतली ब्लॉक में निवास करते हैं। अपीलार्थी परिवार में एक मात्र युवा पुरूष है इसलिये अपीलार्थी अपने गृह जिले से 550 किमी. दूर होने के कारण अपीलार्थी को अपनी वृद्ध माता तथा परिवार की देखभाल करने में समयाभाव के कारण बहुत परेशानी होती है। अतः अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी पारिवारिक एवं रिक्त पदों के आधार पर अपना स्थानान्तरण जोधपुर जिले से जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील में करने की मांग की है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2022 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के अनुसार अध्यापक लेवल–2 का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। अध्यापक लेवल–2 का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। अध्यापक लेवल–2 के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों वर्गवार/जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अध्यापक लेवल–2 का पद जिला स्तर का होने के कारण अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरूद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा एवं किसी जिले में अध्यापकों की उपलब्धता कम हो जाएगी तो किसी जिले में अधिक, जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल पडेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि **"the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post."** इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में इच्छित स्थान पर पदस्थापन का अधिकार सृजित नहीं होता है।

अतः अपीलार्थी द्वारा जोधपुर जिले से जयपुर जिले में स्थानान्तरण करने हेतु की जा रही मांग उपरोक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जय/12864/2022 दिनांकः– 18/7/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय, जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–विधि), जयपुर
3. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
5. अपीलार्थी, अनिल कुमार वैष्णव, अध्यापक लेवल–2 (अंग्रेजी), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बढाल, भाकर श्रीरामनगर, ओसियां, जोधपुर (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते